न्यायालय श्री मान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोड्डा।

राजस्व विविध वाद सं0 01/17–18,

14/2012–13

अनिरूद्ध पंडित .... आवेदक

बनाम्

रैयान मौजा बसंतराय .... विपक्षी

19.03.2020

आदेश

यह प्रक्रिया आवेदक द्वारा समर्पित आवेदन पत्र के आधार पर अनु0 पदा0 की अदालत में प्रारंभ की गयी है। बाद में इसे मेरी अदालत में स्थानांरित किया गया।

आवेदक के आवेदन पत्र के आलोक में अंचलाधिकारी, पथरगामा से जॉच प्रतिवेदन की मांग की गयी। उन्होने अपना जॉच प्रतिवेदन पत्रांक–349 दि0– 13'.08.2012 जांचोपरांत प्रेषित किया है, जो अभिलेख पर है। मौजा बसंतराय के 16 आने रैयतो को नोटिश भेजी गयी, तथा तामिल करायी गयी। उनकी ओर से किसी तरह की आपत्ति नही आयी है।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कथन है कि आवेदक अनिरूद्ध पंडित एक भूमिहीन तथा गरीब व्यक्ति है। साथ ही वे जाति के कुम्हार होने के नाते समाज के कमजोर वर्ग से आते है। वे बहुत दिनों से मौजा--बसंतराय में रहते आ रहे है। उनके निवेदन पर बिचार करते हुए भूतपूर्व जमींदार, बारकोप स्टेट ने हुकुमनामा दि0– 21.02.1937 द्वारा मौजा बसंतराय के गैर मजरूआ खाता सं0–25 के अन्दर दाग नं0–04 में रकवा–0–1–12 एक क0 बारह धूर ''परती कदीम'' जमीन स्थायी रूप से बंदोबस्त कर दिया। उपरोक्त जमीन के संबंध में आवेदक की ओर से वर्ष–1955 तक की जमींदारी रसीदों की छाया प्रतियाँ भी दाखिल की गयी है। उनके बाद की रसीदों की माँग हेतु यह प्रक्रिया प्रारंभ करायी गयी है। अंचलाधिकारी, के प्रतिवेदन से यह भी स्पष्ट है, कि आवेदक लगभग–30 वर्षो से उक्त जमीन पर आवासीय मकान बना कर सपरिवार रहते आ रहे है। अंचलाधिकारी, पथरगामा ने आवेदक के कागजातों एवं स्थलीय जांच में प्राप्त तथ्यों के आधार पर अपनी अनुशंसा प्रेषित की है।

अतः आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता के समर्पण, दाखिल उपरोक्त कागजातों एवं अंचलाधिकारी, पथरगामा की अनुशंसा पर सम्यक् बिचारोपरांत संतुष्ट होकर यह आदेश दिया जाता है, कि अंचलाधिकारी बसंतराय आवेदक से उपर वर्णित जमीन की माल गुजारी ग्रहण कर शेष अवधि की मालगुजारी रसीदें आवेदक के नाम से निर्गत करें।

Digitally signed by MITHILESH KUMAR CHOUDHARY
Date: 2024.09.04 13:08:12 +05:30
Location: 192.168.29.124

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गोड्डा।